1997 तक देश के सभी ग्रामों में टेलीफोन और शहरी क्षेत्रों में जिसमें जनजातिय क्षेत्र भी शामिल हैं, प्रत्येक 500 की आबादी पर एक पी० सी० ओ० खोलने का प्रस्ताव है ।

**जिला और पंचायत स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन**

1926. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला और पंचायत स्तरों पर टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी नहीं । प्रत्येक दूरसंचार सर्किल के लिए दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में तथा प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन जिला प्रबंधक/महाप्रबंधक की अध्यक्षता में किया जाता है ।

(ख) उक्त उल्लिखित गठित, पुनर्गठित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । **(नीचे देखिए)** ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## विवरण

**गठित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों की सूची**

1. **आंध्र प्रदेश :**
   - आंध्र प्रदेश राज्य
   - ईलूरू
   - गुन्टाकल
   - गुन्टूर
   - हैदराबाद
   - कुरनूल
   - राजमुन्द्री
   - विजयवाडा
   - विशाखापटनम
   - तिरूपति
2. **अरुणाचल प्रदेश :**
   - अरुणाचल प्रदेश राज्य
3. **असम :**
   - असम राज्य
   - गुवाहाटी
4. **बिहार :**
   - बिहार राज्य
   - रांची
5. **गोवा :**
   - गोवा राज्य
6. **गुजरात :**
   - गुजरात राज्य
   - भुज
   - बुलसर (बल्साड)
7. **हरियाणा :**
   - हरियाणा राज्य
   - अम्बाला
   - फरीदाबाद
   - करनाल
   - रोहतक
   - हिसार
8. **हिमाचल प्रदेश :**
   - हिमाचल प्रदेश राज्य
9. **जम्मू एवं कश्मीर :**
   - जम्मू एवं कश्मीर राज्य
   - श्रीनगर
   - जम्मू
10. **कर्नाटक :**
    - कर्नाटक
    - हुबली
    - मैसूर
    - बेलगाम
    - मंगलौर
    - बैंगलूर
    - कोडागू
11. **केरल :**
    - केरल
    - अल्लेप्पी
    - क्विलॉन
    - कोट्टायम
    - कैन्नूर
    - पालघाट
    - एर्नाकुलम
    - त्रिचूर
12. **मध्य प्रदेश :**
    - मध्य प्रदेश
    - भोपाल
    - रायपुर

13. मणीपुर :
इम्फाल

14. महाराष्ट्र :
मुंबई
नासिक
कल्याण
अहमदनगर
सोलापुर
पुणे
नागपुर

15. मेघालय :
शिलांग

16. नागालैंड :
दीमापुर

17. उड़ीसा :
उड़ीसा

18. पंजाब :
अमृतसर
लुधियाना
पठाणकोट
पटियाला
फिरोजपुर

19. राजस्थान :
राजस्थान
जयपुर
जोधपुर

20. तमिलनाडु :
तमिलनाडु
ईरोड
कोयम्बटूर
मद्रास
कुड्डालौर
वैल्लौर
त्रिची
मदुरै
तिरूनेलवेली
तंजावूर
सलेम

21. त्रिपुरा :
अगरतला

22. उत्तर प्रदेश:
इलाहाबाद

23. पश्चिम बंगाल :
पश्चिम बंगाल
सिलिगुडी
कलकत्ता

24. संघ शासित क्षेत्र :
चण्डीगढ़
लक्षद्वीप
पांडिचेरी

**असंतोषजनक टेलीफोन सेवाएं**

1927. **श्री आस मोहम्मद :**
**चौधरी हरमोहन सिंह :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं बहुत ही असंतोषजनक, अक्षम और तकलीफदेह है, जिस कारण टेलीफोन अक्सर खराब रहते हैं, उन्हें तत्काल और संतोषप्रद ढंग से ठीक नहीं किया जाता है और यदि अन्य क्षेत्रों से टेलीफोन की शिकायत करनी हो तो शिकायत नम्बर निरंतर व्यस्त मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि शिकायत नम्बर लम्बे समय तक व्यस्त नहीं रहें ;

(घ) इस सेवा को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ङ) पिछले 12 महीनों के दौरान प्रतिमाह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को असंतोषजनक सेवा के संबंध में कितनी शिकायतें मिली है, और

(च) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :**

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसे टेलीफोन नम्बर प्रायः उपलब्ध रहते हैं जिन पर टेलीफोनों को खराबी की शिकायत की जाती है । इसे अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एम० टी० एन० एल० ने ऐसे भी प्रबन्ध किए है जिनके जरिये उपभोक्ता "वाइस मेल नम्बरों" पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं । ये नम्बर इसी उद्देश के लिए हाल ही में खोले गए है ।

(घ) दोष निवारण से संबंधित प्रगति पर प्रबन्धक वर्ग के वरिष्ठ स्तर द्वारा प्रतिदिन नजर रखी जाती